अध्याय 20-राज्यपाल तथा सभा के बीच संवाद.

राज्यपाल से सभा के संवाद.

162. राज्यपाल से सभा को संवाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किये हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जायेगा या यदि राज्यपाल सभा की बैठक के स्थान से अनुपस्थित हों तो उसका संदेश मंत्री के माध्यम से अध्यक्ष को भेजा जायेगा.

सभा से राज्यपाल को संवाद.

163. सभा से राज्यपाल को संवाद -

(1) सभा में प्रस्तुत किये जाने और स्वीकृत हो जाने के बाद औपचारिक समावेदन द्वारा; और

(2) अध्यक्ष के माध्यम से किया जायेगा.

अध्याय 20-अ-सभा की गोपनीय बैठक.

गोपनीय बैठक.

163-क. (1) सदन नेता द्वारा प्रार्थना की जाने पर अध्यक्ष कोई दिन या उसका भाग सभा की गोपनीय बैठक के लिये निश्चित करेगा.

(2) जब सभा की गोपनीय बैठक हो तो किसी बाहरी व्यक्ति को सभा भवन, सभा कक्ष या दीर्घाओं में उपस्थित रहने की अनुज्ञा नहीं होगी :

परन्तु अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सभा भवन, सभा कक्ष या दीर्घाओं में उपस्थित रह सकेंगे.

कार्यवाही का वृत्तांत.

163-ख. अध्यक्ष किसी गोपनीय बैठक की कार्यवाही का वृत्तांत ऐसी रीति से निकलवा सकेगा जो वह ठीक समझे परन्तु कोई अन्य उपस्थित व्यक्ति गोपनीय बैठक की किसी कार्यवाही या विनिश्चयों की, चाहे अंशतः अथवा पूर्णतः कोई टिप्पणी या अभिलेख नहीं रखेगा और न ऐसी कार्यवाही का वृत्तांत निकालेगा या उसके वर्णन की चेष्टा करेगा.

अन्य प्रकरणों में प्रक्रिया.

163-ग. गोपनीय बैठक के संबंध में अन्य सब प्रकरणों में प्रक्रिया ऐसे निर्देशों के अनुसार होगी जो अध्यक्ष दे.

गोपनीयता का प्रतिबंध हटाना.

163-घ. (1) जब यह समझा जाये कि किसी गोपनीय बैठक की कार्यवाही के बारे में गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यकता नहीं रही है तो अध्यक्ष की सम्मति के अधीन रहते हुए सदन नेता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि गोपनीय बैठक के दौरान में सभा की कार्यवाही को अब गोपनीय न समझा जावे.

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत प्रस्ताव के सभा द्वारा स्वीकार होने पर सचिव, गोपनीय बैठक की कार्यवाही का वृत्तांत तैयार करवायेगा और उसे, यथासाध्य शीघ्र ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगा, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे.

कार्यवाही या विनिश्चय का प्रकट किया जाना.

163-ङ. नियम 163-घ, के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी गोपनीय बैठक की कार्यवाही या विनिश्चयों का किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी रीति से प्रकट किया जाना सभा के विशेषाधिकार का घोर भंग समझा जायेगा.